country. In addition, Farm Forestry and Agro-Fofestry are being promoted out side the forest areas.

बड़े बन्दरगाहों के कार्यों में गैर-सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित किया जाना

*118. **डा. बापू कालदाते :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के बड़े बंदरगाहों के कार्यों में गैर-सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन बंदरगाहों पर अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपी जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) स्टीवडोरिंग क्लीअरिंग और माल भेजने जैसे कुछेक पत्तन कार्यों में निजी क्षेत्र की सहभागिता पहले से ही प्रचलित है । और कुछ पत्तनों में, कुछ कार्गो हैंडलिंग उपकरण निजी क्षेत्र द्वारा सप्लाई तथा प्रचालित किए जाते हैं ।

(ख) और (ग) पत्तनों से कहा गया है कि अतिरिक्त सुविधाएं बढ़ाने पर विचार करते समय भी निजी क्षेत्र की सहभागिता की संभावना की भी जांच की जाए । प्रत्येक मामले की उसके गुणावगुण के आधार पर जांच की जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों द्वारा समय की पाबन्दी का पालन

*119. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में अधिकांश डाक्टर और अन्य कर्मचारी समय की पाबंदी नहीं बरतते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम.एल. फोतेदार) : (क) समय पाबंदी का आम तौर पर डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों दोनों द्वारा पालन किया जाता है । तथापि, ऐसे दृष्टांत हुए हैं जहां कर्मचारियों ने समय पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं किया है । ऐसा मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के मामले में हुआ है जिन्हें सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करके लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है ।

(ख) औषधालयों में डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों के मामले में समय-पाबंदी का अनुवीक्षण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) औषधालयों में उपस्थिति रजिस्टर का रख-रखाव करना जिनमें डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों का आने और जाने का समय नोट किया जाता है ।

(ii) समय-पाबंदी को सुनिश्चित करने हेतु जोनल अपर निदेशकों द्वारा नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करना ।

(iii) डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों को समय-पाबंदी का अनुपालन करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी करना ।

Development of Ladakh

*120. SHRIMATI KAMLA SINHA Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ladakh Buddhist Association has been demanding special attention to the developmental problems of Ladakh; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) and 9b) After an agreement oil 29th October, 1989 reached in the presence of the then Union Home Minister, the Ladakh Buddhist Association (LBA) dropped the demand for grant of Union Territory Status for Ladakh. The Government of Jammu & Kashmir had promised to examine and consider the demand for an autonomous District Hill Council and to formulate an integrated tribal sub-plan within a time frame". Further discussions with LBA are continuing.

ताजमहल पर प्रदूषण का प्रभाव

@930. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिरला विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने ताजमहल पर प्रदूषण के दुष्प्रभावों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी के साथ मिल कर कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां । अध्ययन के ब्यौरों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सल्फर डाई ऑक्साइड प्रमुख प्रदूषक है जबकि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों से भी ताजमहल को क्षति पहुंच सकती है ।

(2) वर्षों से हो रहे प्रदूषण के कारण ताजमहल की सतह से चमक समाप्त हो चुकी है तथा वह खुरदरी हो गई है और उस पर थोड़ा पीलापन आ गया है ।

(3) ताजमहल पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है । प्रदूषण की मात्रा अलग अलग स्थानों पर अलग-अलग है । सल्फर डाई ऑक्साइड का प्रभाव ऊपर अर्थात् गुम्बद पर निचले स्तरों अर्थात् आधार के मुकाबले काफी कम है ।

(4) सल्फर डाइऑक्साइड से ताजमहल के भीतरी भागों की अपेक्षा बाहरी भागों में अधिक क्षति हुई है ।

ताजमहल की प्रदूषण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) ताजमहल के चारों ओर एक समलम्ब बनाया गया है । इस क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

(2) आगरा में उद्योगों द्वारा फर्नेस ऑयल और डीजल जनरेटरों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध है । सर्दियों की रातों में ढलाई-घर चालू करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

(3) परिवेशी वायु में सल्फर डाइ-ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए जनवरी, 1981 से ताजमहल में एक निरन्तर चलने वाला सल्फर डाई ऑक्साइड निगरानी केन्द्र बनाया गया है ।

(4) मथुरा रेंल शोधक कारखाना अपनी स्थापन के प्रारंभ से ही मथुरा और उसके आसपास स्थानों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी कर रहा है ।

(5) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगरा में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित और संचालित किया गया है ।

(6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उत्सर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं ।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 629, 28 फरवरी, 1992 से स्थानांतरित